

भूमि मूल्यांकन सूची के पेज नंबर 73 क्रमांक 0163 के वी0-कोड 331 जिसकी दर 32,500 /-रू0 प्रतिवर्गमीटर चूंकि उक्त प्लाट नई एप्रूव्ड कॉलोनी में स्थित होने के कारण रेट सूची में वर्णित सामान्य निर्देश 8 के अनुसार 20 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि करके यानी 39,000/-रू0 प्रतिवर्गमीटर से मालियत 3,67,89,000/-रू0 व उक्त प्लाट दो रास्तो एवं पार्क के सामने स्थित होने के कारण 20 प्रतिशत अतिरिक्त यानी 73,58,000/-रू0 इस प्रकार कुल मालियत 4,41,47,000/-रू0

स्टांप का कुल योग -- 30,91,000 /-रू0

लेखपत्र का प्रकार -- बैनामा रजिस्ट्री

बाजारू मूल्य -- 4,41,47,000/- रू0

विक्रय मूल्य -- 4,41,47,000/- रू0 जिसमें से

मौजा -- मैरी

आबादी -- अशोक मेडिकल सिटी, झांसी

मापन की इकाई -- वर्गमीटर

संपत्ति का क्षेत्रफल -- 943.29 वर्गमीटर

सड़क की स्थिति -- विक्रित प्लाट शमशानघाट से पिछोर बाईपास जाने वाली सड़क पर स्थित है।

संपत्ति का प्रकार -- वाणिज्यिक प्लाट जो आराजी नंबर 141मि0 के जुज भाग में स्थित है।

चौहद्दी-

पूरब -- सड़क

पश्चिम -- प्लाट संख्या 2

उत्तर -- रास्ता 18 मीटर बाद पार्क

दक्षिण -- मौजा डडियापुरा

प्रथम पक्ष की संख्या -- एक

द्वितीय पक्ष की संख्या -- एक

प्रथम पक्ष विक्रेता का नाम व पता- साई गणेश इंफ्रा रियल स्टेट एल0एल0पी0 पता - 184 सरकारी स्कूल के पास मैरी, तहसील व जिला झांसी, (पैन कार्ड संख्या-AEFFF2907B) द्वारा पार्टनर श्री आकाश यादव पुत्र श्री राजेश यादव निवासी- ग्राम मैरी, तहसील व जिला झांसी, (पहचान आधार कार्ड संख्या-892240590195 से की गई है) मोबाइल नंबर-9336743846

द्वितीय पक्ष क्रेता का नाम व पता -

संपत्ति का विवरण-- वाणिज्यिक प्लाट संख्या 1 स्थित मौजा मैरी कॉलोनी अशोक मेडिकल सिटी तहसील व जिला झांसी, जिसका कुलनाप- 943.29 वर्गमीटर है, उक्त प्लाट में कोई निर्माण कार्य नहीं है। दस्तावेज हाजा के साथ प्लाट मुवैया का नक्शा स्केली संलग्न है, जिसमें विक्रित प्लाट वरंग लाल से दर्शाया गया है, जो बैनामा का अंश भाग है उक्त प्लाट वक्फ बोर्ड, नजूल या

नगर निगम, ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की संपत्ति नहीं है। विक्रित संपत्ति विक्रेता ने जरिय बानामा रजिस्ट्री दिनांक ई0 को श्री से खरीद किया था। जिसकी रजिस्ट्री वही नंबर 1 जिल्द संख्याके पृष्ठ..... पर क्रमांक..... पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय झांसी में पंजीकृत है।

प्रथम पक्ष द्वारा उक्त विक्रय पत्र के जरिए की गई भूमि पर अशोक मेडिकल सिटी कॉलोनी, झांसी विकसित की जा रही है, जिसका ले-आउट संख्या 108 झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी द्वारा दिनांक 24.05.2021 को स्वीकृत किया जा चुका है।

विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है।

यह कि मैं विक्रेता उपरोक्त प्लॉट उपरोक्त का संपूर्ण रूप से मालिक काबिज़ व दाखिल हूँ जो कहीं वय अथवा रहिन आदि नहीं हैं यानि हर प्रकार से जुम्लावार किफालत से पाक व साफ वरी हैं न ही प्लॉट के स्वामित्व के संबंध में कोई बाद न्यायालय में विचाराधीन है न ही प्लॉट किसी जमानत ऋण, डिग्री आदि से मगफूल है अतः मैं विक्रेता अपना उपरोक्त प्लॉट वकीमत उपरोक्त में वदस्थ क्रेता उपरोक्त को कतई तौर से विक्रय करता हूँ कब्जा ब दखल मालिकाना उक्त प्लॉट मुवैया पर आप खरीदार को बखूबी आज की तारीख से दे दिया है अधिकार खरीददार उक्त प्लॉट मुवैया में नव निर्माण करावे, स्वयं रहे, किराए पर दे, वय व रहिन आदि करें हर प्रकार से मुन्तकिल करें यानि कि उक्त प्लॉट को जिस तरह से अपने इस्तेमाल में लावे गर्ज यह है कि जो जी चाहे सो करें। क्रेता भविष्य में कॉलोनी के नियम व शर्तों का पालन करेगा तथा कॉलोनी के रख-रखाव हेतु निर्धारित मासिक शुल्क का भुगतान करेगा। विक्रेता एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख में मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्यों को छुपाया नहीं गया है। सभी तथ्य पूरे-पूरे वर्णित किए गए हैं विक्रित प्लॉट सरकारी संपत्ति नहीं है और न ही किसी भी बैंक या विभाग में बंधक है। इस विक्रय पत्र के साथ मानचित्र एवं फोटोग्राफ में वर्णित प्लॉट विक्रय किया गया है जिसका वास्तविक कब्जा आज विक्रेता ने क्रेता को दे दिया है, लिहाजा स्वेक्षा से विक्रेता एवं क्रेता द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार एवं नक्शा नवीस द्वारा की-प्लान मानचित्र के आधार पर यह विक्रय पत्र तहरीर कर दिया सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवे।

दिनांक :-10.06.2021

प्रारूपकर्ता :- गौरव अग्रवाल वसीका नवीस, तहसील झांसी

टाइपकर्ता :- दीपक, तहसील झांसी